

# — विधि व्यवसाय अनुभव प्रमाण पत्र—

(म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन क. 02/परीक्षा/2015/दिनांक 22.12.2015 के अंतर्गत विज्ञापित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद के लिए अधिमान अर्हता हेतु प्रदत्त)

जारीकर्ता कार्यालय का जावक क्रमोंक.....

दिनांक.....

टीप -

1. उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय हेतु अनुभव प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
2. जिला एवं सत्र न्यायालय/तहसील न्यायालय में विधि व्यवसाय हेतु अनुभव प्रमाण पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
3. जारी किये गये प्रमाण पत्र पर वांछित स्थान पर हस्ताक्षर/नाम/पदनाम/पदमुद्रा/ जारीकर्ता कार्यालय का जावक क्रमांक एवं जारी करने की तिथि का स्पष्टतः उल्लेख होना चाहिए इसके अभाव में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. आयोग/विभाग को यह अधिकार होगा कि वह प्रमाण पत्र की सत्यता की किसी भी समय आवश्यकता होने पर जांच करा सकेगा। असत्यता अथवा त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक एवं जारीकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अनुशसित की जा सकेगी।

रोल नम्बर .....

साक्षात्कार तिथि.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कु./सुश्री.....

पिता.....को दिनांक.....से

दिनांक .....तक (कुल .....वर्ष.....माह.....दिन) की

अवधि का उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय/तहसील न्यायालय.....

जिला.....में विधि व्यवसाय का अनुभव प्राप्त है।

जारी करने की तिथि .....

आवेदक के -

प्रमाण पत्र जारीकर्ता के -

हस्ताक्षर.....

अधिकृत हस्ताक्षर.....

नाम.....

नाम.....

मोबाईल नम्बर .....

पदनाम.....

पदमुद्रा.....